प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

165-बागीदोरा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता हूं कि-

श्री जयकृष्ण पटेल मु. कानेला तह० आनंदपुरी जिला बॉसवाड़ा (राज) जो भारत आदिवासी पार्टी (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उस सदन में श्री महेन्द्र जीत सिंह मालविया के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: वांसवाडा

तारीख: 04 जून, 2024 (मंगलवार)



रिटानेग अधिकारा रिटानेग अफिसर 165 बागी कडिंग्गबेक्रीर्प्तवाओं सिध्नेतिसासाझनीर्वाचनक्षेत्र (उपखण्ड यजिस्ट्रेट बागीदीरा) (उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बागीदोरा)

FORM 21 D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 165 – Bagidora (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that :-

Shri Jaikrishn Patel

Mu. Kanela Tah. Anandpuri District Banswara (Raj.)

sponsored by Bharat Adivasi Party (Registered Unrecognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House by the resignation of shri Mahendra Jeet Singh Malviya having been declared vacant.



Ramchandra Khatik

Returning Officer Ramchandra Khatik (RAS) 165-Bagidora (STDRALSHENDING CEONSTITUENCY 165-Bagidora (ST) Assembly Constituency Sub divisional Office & Stategiccia (Mp) Magistrate

Bagidora